© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 1 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

वाल्मीकि रामायण में चित्रित समाज में नारी की स्थिति

पूनम यादव
शोधछात्रा
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद।

आधुनिक चिन्तक तथा दार्शनिको का मानना है कि किसी युग विशेष में उस समाज में नारियों की समाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशा उस युग की समृद्धि एवं प्रगति का आकलन करने का मापदण्ड रामायण का युग भारतीय संस्कृति का ऐसा युग माना गया है जिसमें स्त्रियों को न तो वैदिक काल जैसी स्वतंत्रता प्राप्त थी। और न ही ही स्मृतिकाल जैसी सङकुचित परिधि में जकड़ा गया था। अतः यह कहा जा सकता है कि यह इन दोंनो के मध्य का काल था।

रामायणकालीन स्त्रियों को कल्याणी, भद्रे, देवी, अनघे सती इत्यादि, सम्बोधन से विभूषित कर एक ओर तो उन्हें सम्मानित किया गया किन्तु वहीं दूसरी ओर उनके प्रति किये गये अपमान जनक व्यवहार जैसे– वायुदेव द्वारा राजा कुशनाभ की पुत्रियों के साथ किया गया कुत्सित व्यवहार[1] स्त्रियों के प्रति तत्कालीन के प्रति विचार करने को विवश कर देता है।

स्त्री के लिए स्वतंत्र जीवन की कल्पना दिवास्वप्न मात्र या स्त्री विवाह से पूर्ण पिता के अधीन थी। विवाहोपरांत पति के आश्रम में ही जीवन–यापन करना उसके लिए श्रेयस्कर था तथा पति के मृत्योंपरान्त अथवा अधर्मगामी होने पर पुत्र के आश्रित होती थी।[2] स्त्री के लिए पतिव्रत पर विशेष बल दिया गया है। उसके लिए पति देवता के सादृश्य है देव्याश्च भर्ता स गतिश्च धर्मः।[3]

तत्कालीन समाज में बहुविवाह के परिदृश्य, परिलक्षित होते हैं। रानियों में परस्पर अन्तःकलह का वर्णन अयोध्याकाण्ड में एवं बालि की पटरानियों का अन्तःकलह किष्किन्धाकाण्ड में वर्णित है। कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है, यदि मैं एक दिन भी राम की माता कौसल्या को राम के राज्याभिषेक के उपरान्त राजमाता होने के नाते दूसरों से अपने आप को हाथ जुड़वाती देख लूँगी तो उसी क्षण मर जाना श्रेष्ठ समझूंगी[4]। इसीप्रकार की मनोव्यथा रानी कौसल्या राम से करती है कि पति के प्रभुत्वकाल में जो ज्येष्ठ रानी होने पर भी सुख नहीं प्राप्त हुआ उसे मैं पुत्र के राज में आशा कर रही थी क्योंकि बड़ी रानी होकर भी मुझे सदैव अपने से छोटी सौतों के अप्रिय वचन सहने पड़े है।[5] पति की ओर से सदा मुझे तिरस्कार व कड़ी फटकार ही मिलती है कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ मैं दासियों के बराबर अथवा उनसे निकृष्ट समझी गयी हूँ।[6] सम्भवतः यही कारण है कि कौसल्या और कैकेयी, ये दोंनो ही रानियाँ अपने–अपने पुत्र को राजसिंहासन प्राप्त कराना चाहती हैं ताकि रानियों में उनका वर्चस्व एवं सम्मान सर्वोपरि रहे। रामायण काल में स्त्रियों से सम्बन्धित विविध

प्रथाओं जैसे–सतीप्रथा, प्रदाप्रथा, वालविवाह, पुनर्विवाह इत्यादि का उल्लेख स्पष्ट रूप से तो नहीं किन्तु आंशिक रूप से प्राप्त होता है बालविवाह के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से तो बालविवाह का समर्थन एवं खण्डन तो नहीं किया गया किन्तु सीता की बाल्यावस्था में ही विवाह होने की बात सीता स्वयं हनुमान से कहती हैं।

सतीप्रथा की पुष्टि एवं विधिवत् संस्कारों का उल्लेख तो महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया किन्तु महाराज दशरथ के मृत्योपरांत रानी कौसल्या अपनी जीवन लीला समाप्त करने को आतुर है–

विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्ग गतो मम्।
विपथे सार्थ हीनवे नाहं जीवितुं उत्सहे।। [7]

इसीप्रकार बालि के मरणोपरांत रानी तारा भी विलाप करती हैं।

रामायणकालीन संस्कृति न केवल आर्य संस्कृति अपितु अनार्य संस्कृति जैसे–वानर एवं राक्षसों की परम्पराओं का उल्लेख हुआ है। यद्यपि आर्य संस्कृति में पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं प्राप्त है किन्तु अनार्य संस्कृतियों में पुनर्विवाह का पर्याप्त प्रचलन परिलक्षित होता है। वानरराज बालि के देहान्तोपरांत रानी तारा का विवाह पुनः सुग्रीव से हो जाता है तथा राक्षसराज रावण राम की विवाहिता सीता को बार–बार स्वयं से विवाह करने के लिये प्रताड़ित करता है।

महर्षि वाल्मीकि ने स्त्रियों को सर्वथा संरक्षणीय माना है इसी आधार पर स्त्रियों के लिए एक सुरक्षित माहौल के लिए कतिपय एक आवरण की परिकल्पना की गयी जिसे कालान्तर में प्रदाप्रथा के रूप में स्त्रियों को सामाजिक बेड़ियों में जकड़ने का साधन बन गया। सीता जब राम के साथ वन में जाने लगती है तो पुरवासी कहते हैं कि पहले जिसे आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों ने भी नहीं देखा था उस सीता को इस समय सड़को पर खड़े सामान्य लोग देख रहे हैं। [8]

रामायणकाल में स्त्रियों को पर्याप्त राजकीय एवं विधिक अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों के आभूषणों पर उनका स्वतन्त्र अधिकार था वे अपनी इच्छा के अनुसार उसका लेन–देन कर सकती थी। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर रानी कौसल्या ने अपने आभूषण संदेश–वाहक को उपहार स्वरूप दिये थे। वनवास जाने से पूर्व श्रीराम–सीता से अपनी सर्वस्व धनराशि का त्याग करने का आदेश देते हैं तो सीता अपने उन समस्त आभूषणों को अनुचरों में वितरित कर देती है। [9]

स्त्रियों को धार्मिक कार्यो में पति की सहगामिनी एवं सहयोगी के रूप में अनिवार्य अधिकार प्राप्त हुए। राम के राज्यारोहण के निमित्त अनुष्ठानों में सीता के अनिवार्य अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है–

सीतायाप्युपवस्तत्या रजनीयं मया सह। [10]
एवमुक्तमुपाध्यायैः स हि मामुक्तवान् पिता।।
यानि यन्यत्र योग्यानि श्रोभाविन्यभिषेचने।

वानि में मंलान्यद्य वैदेह्यश्चैव कारय।। [11]

रामायणकाल में नारी को राजकीय अधिकार प्राप्त थे पति के अभाव में स्त्रियों को राज्य अधिकार प्राप्त हो सकते हैं ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है–

न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते।
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृत मासनम्।। [12]

स्त्रियाँ राजधर्म की ज्ञाता होती थी वानरराज बालि की पत्नी तारा उसे तथा बाद में सुग्रीव का समय–समय पर राजनीति का उपदेश करती हुई परिलक्षित होती है।

युद्धस्थली में भी स्त्रियों की सहभागिता द्रष्ट्व्य है। एक प्रसंग आता है जिसमें देवासुर संग्राम में शम्बर असुर के संहार के लिये राजा दशरथ रानी कैकेयी को अपने साथ दण्डकारण्य में लेकर जाते है। [13]

इसप्रकार हम देखते हैं कि रामायणकालीन नारी नदी के तरÁें की भाँति कभी उदात्तता को तो कभी तुच्छता को प्राप्त होती हुई अन्ततः पूजनीय स्थिति को प्राप्त होती है। वस्तुतः वह कल्याणी, भद्रे, अनघे जैसे सम्बोधनों को चरितार्थ करती हुयी अपने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का समुचित समन्वय बनाती हुयी आधुनिक समाज के लिये आदर्श प्रस्तुत करती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. वाल्मीकि रामायण – 1.32.23–24
2. वाल्मीकि रामायण – 2.31.61
3. वाल्मीकि रामायण – 2.21.60
4. वाल्मीकि रामायण – 2.12.48
5. वाल्मीकि रामायण – 2.20.38.39
6. वाल्मीकि रामायण – 2.20.42
7. वाल्मीकि रामायण–2.66.4
8. वाल्मीकि रामायण–2.33.8
9. वाल्मीकि रामायण–2.32.6–11
10. वाल्मीकि रामायण–2.4.36
11. वाल्मीकि रामायण–2.4.37
12. वाल्मीकि रामायण–2.37.23
13. वाल्मीकि रामायण–2.9.11–16